भैरवसिंह बनाम रामसहाय

दावा

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम च हुक्म की त में जारी
5-5-2021	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। सरकार द्वारा महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित। कोविड-19 अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2-6-2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	
2-6-2021	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन अनुशासन लाकडाउन घोषित। कोविड-19 अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30-6-2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	
30-6-2021	पत्रावली पेश हुई। कोविड-19 के कारण कोई उपस्थित नहीं है। वास्ते बहस पत्रावली दि० 7-7-2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
7-7-2021	वकील ~~अप्रार्थी~~ वादीगण उपस्थित है। बहस सुनी गई। दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:12:12 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
153/2012	7.11.2012	7-7-2021

1. भैरवसिंह | पुत्रान दुर्गालाल जाति पूर्विया
2. छैनराज | निवासी गणडाल तहसील बामनवास —वादीगण

बनाम

1. रामसहाय पुत्र गंगाधर जाति पूर्विया निवासी गण्डाल (मृतक)
1/1 रामसिंह | पुत्रान स्वर्गीय रामसहाय
1/2 अमरसिंह | जाति पूर्विया निवासी गण्डाल
1/3 चन्दनसिंह | तहसील– बामनवास
1/4 भागसिंह | जिला सवाईमाधोपुर (राजस्थान)
1/5 रूकमणी बेवा रामसहाय, पूर्विया निवासी गण्डाल तहसील बामनवास
2. किशोर पुत्र गंगाधर, पूर्विया निवासी गण्डाल तहसील बामनवास (मृतक)
2/1 छोटी बेवा किशोर | जाति पूर्विया निवासी गण्डाल
2/2 विजयसिंह पुत्र स्वर्गीय किशोर | तहसील–बामनवास जिला
2/3 मदनसिंह पुत्र स्वर्गीय किशोर | सवाईमाधोपुर (राजस्थान)
2/4 शारदा पुत्री स्वर्गीय किशोर |
3. लल्लू पुत्र रामनिवास जाति पूर्विया निवासी ग्राम गण्डाल (मृतक)
3/1उगन्तीदेवी बेवा स्वर्गीय लल्लू | जाति पूर्विया निवासी ग्राम
3/2 प्रतापसिंह पुत्र स्वर्गीय लल्लू | गण्डाल तहसील बामनवास
3/3 हरिसिंह पुत्र स्वर्गीय लल्लू |
3/4 मानसिंह पुत्र स्वर्गीय लल्लू |
3/5 देवी पुत्र स्वर्गीय लल्लू पत्नी रामेश्वर | जाति पूर्विया निवासी
3/6 उमा पुत्री स्वर्गीय लल्लू पत्नी पप्पू | माधोपुर पो. कनवास जि. कोटा
4. चिरंजीलाल पुत्र रामनिवास | जाति पूर्विया निवासी गण्डाल
5. सुरेश पुत्र कन्हैया | तहसील– बामनवास
6. गीतादेवी पत्नी रमेश पुत्र कन्हैया | जिला– सवाई माधोपुर
7. विशाल पुत्र रमेश | राजस्थान।
8. विक्रम पुत्र रमेश जरिये संरक्षक माता गीतादेवी जाति पूर्विया निवासी गण्डाल तहसील बामनवास
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं विभाजन

उपस्थित:- श्री बृजनन्दन दीक्षित एडवोकेट, वादीगण की ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:12:12 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजि. ... कार्यालय

निर्णय

वादीगण ने दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि मुकदमा मुतदारान सिवाय प्रतिवादी नम्बर 6 आपस में रक्त सम्बन्धी होकर एक ही मुरिस की सन्ताने है। वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 10 रकवा 17 बीघा 9 विस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 14 रकबा 4.55 हेक्टर स्थित ग्राम उदेई कलां है जो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 की पैत्रिक खातेदारी व कब्जे काश्त भूमि की रही है। वादीगण के बाबा गंगाधर की मृत्यु के पश्चात् उक्त साबिका भूमि खण्ड का नामान्तरकरण स्वर्गीय गंगाधर के पुत्रान दुर्गालाल, रामनिवास, रामसहाय, कन्हैया व किशोर के हक में दिनांक 29.12.66 को भरा जाकर दिनांक 27.03.67 को वरूये ग्राम पंचायत उदेई कलां तस्दीक किया गया और तब ही से सभी वादीगण व प्रतिवादीगण सहमति द्वारा काबिज काश्त होकर लाभान्वित होते चले आ रहे है तथा इसके अतिरिक्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम गण्डाल में स्थित है। जिसमे भी गंगाधर की मृत्यु के पश्चात् उक्त पांचो पुत्रों का नाम है। वादीगण का 1/5 हिस्सा दर्ज है। दौराने सेटिलमेन्ट उक्त भूमि खण्ड के वर्तमान खसरा नम्बर 14 कायम कर सेटिलमेन्ट द्वारा पर्चा खतौनी जारी किया गया जिससे वादीगण के पिता का नाम अकारण व अनुचित रूप से हजफ करते हुए वादीगण के चाचा रामनिवास, रामसहाय, कन्हैया व किशोर दर्ज कर दिया गया। जिसका इन्द्राज सं0 2039 लगायत वर्तमान जमाबंदी मे गलत रूप से बदस्तूर चला आ रहा है। सेटिलमेन्ट को खातेदारी बदलने का कोई अधिकार नही है। उक्त विभाग को पूर्व इन्द्राजो को ही बदस्तूर कायम रखना चाहिए था। वादीगण के पिता स्वर्गीय दुर्गालाल व अन्य चाचाओ मे सिवाय किशोर के सभी अनपढ थे। किशोर समझदार होने के कारण सारे कागजो की देखभाल करते थे इसलिऐ पर्चा सेटिलमेंट व अन्य संबंधित राजस्व रिकार्ड भी उन्हीं के पास रहा। वादीगण का वादग्रस्त भूखण्ड मे हिस्सा 1/5 विधिनुसार नियत है। वादीगण को अपने उक्त भूमि खण्डो के हिस्से मे जल संग्रहण हेतु फॉर्म पॉण्ड खुदवाने की आवश्यकता होने पर जमीन की जमाबंदी प्राप्ति हेतु पटवारी हल्का जमाबंदी की नकल लेने को दिनांक 19.06.2012 को गये तो पटवारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान जमाबंदी मे आपका व आपके पिताजी का नाम दर्ज नही है। इस कारण जमीन पर फार्म पॉण्ड के लिए कार्यवाही किया जाना संभव नही है। उक्त जानकारी पर वादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की गई जिससे सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज की जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.01.19 16:12:12 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

[illegible] को हुई। अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 14 रकवा 4.55 हेक्टर स्थित ग्राम उदेई कलां तहसील गंगापुर सिटी में वादीगण को 1/5 हिस्सा का काबिज खातेदार घोषित फरमाया जावे तथा अन्य प्रतिवादीगण का इसी क्रम में प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/5, प्रतिवादी नम्बर 2 का 1/5, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/5 एवं प्रतिवादी नम्बर 5 लगायत 8 का 1/5 हिस्सा घोषित फरमाया जाकर मीट्स एण्ड बाउन्ड्स से विभाजन कर बॅटवारा किया जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने की डिक्री बहक वादीगण अता फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन मे वादीगण ने नकल साबिक जमाबंदी प्रदर्श 1, नकल नामान्तकरण संख्या 440 दिनांक 27.2.67 प्रदर्श 2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी संवत 2065–68 ग्राम उदेईकलॉ प्रदर्श 4, नकल पर्चा खतौनी प्रदर्श 5, नकल जमाबंदी संवत 2039 प्रदर्श 6, नकल जमाबंदी संवत 2067–70 ग्राम गण्डाल प्रदर्श 7, प्रदर्श 8 प्रस्तुत किये है एवं बयान वादी भैरोसिंह के कराये है।

बहस विद्धान वकील वादीगण सुनी गई।

वादीगण के विद्धान वकील ने अपने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के बाबा गंगाधर की खातेदारी की भूमि रही है। उनकी मृत्यु के पश्चात विरासत के नामान्तकरण प्रदर्श 2 द्वारा यह भूमि दुर्गालाल, रामनिवास, रामसहाय, कन्हैया, किशोर पुत्रान गंगाधर के नाम दर्ज हुई। नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 से यह तथ्य प्रमाणित है। भूप्रबन्ध मे इस भूमि का नवीन नम्बर 14 रकबा 4.55 है0 कायम किये गये है जो नकल खतौनी जमाबंदी प्रदर्श 6 के अनुसार रामनिवास, रामसहाय, कन्हैया, किशोर पिता गंगाधर के नाम दर्ज किया गया है। इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण के पिता दुर्गालाल का नाम [illegible] से हटा दिया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि मे वादीगण के पिता का 1/5 हिस्सा रहा है। वादीगण व प्रतिवादीगण की ग्राम गण्डाल में भी भूमि स्थित है। जिसकी जमाबंदी प्रदर्श 7 व 8 है एवं ग्राम गण्डाल की भूमि में वादीगण के पिता का नाम हिस्सा 1/5 अंकित है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण के पिता का नाम वादग्रस्त भूमि मे गलत रूप से दर्ज नही किया गया है। जिसकी दुरूस्ती कराने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:12:12 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

...अधिकारी है। अतः वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर वादीगण ... 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल नामान्तकरण संख्या 440 दिनांक 27.2.67 प्रदर्श 2 के अनुसार गंगाधर की भूमि उसके पॉच पुत्र दुर्गालाल, रामनिवास, रामसहाय, कन्हैया व किशोर के नाम विरासत मे आयी है। नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 के अनुसार इन पॉचो के नाम भूमि साबिक ख0न0 10 खातेदारी मे दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3 के अनुसार साबिक ख0न0 10 से नवीन ख0न0 14 बना है। जो नकल जमाबंदी प्रदर्श 4 के अनुसार रामनिवास, रामसहाय, कन्हैया व किशोर पिता गंगाधर की खातेदारी मे दर्ज है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण के पिता दुर्गालाल का नाम खातेदारी मे दर्ज नही किया गया है। वादीगण भूप्रबन्ध विभाग द्वारा की गई इस गलती को दुरूस्त कराने के अधिकारी है। फलस्वरूप वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 14 रकबा 4.55 है0 ग्राम उदेई कलॉ अ. में वादीगण भैरवसिंह पुत्र दुर्गालाल, खेमराज पुत्र दुर्गालाल को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार इस भूमि मे दर्ज अन्य खातेदारों का हिस्सा कन्हैया पुत्र गंगाधर का 1/5, कल्ली पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/30, कान्ता पुत्री रामनिवास हिस्सा 1/30, किशोर पुत्र गंगाधर हिस्सा 1/5, चिरंजी पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/30, मीरा पुत्री रामनिवास हिस्सा 1/30, रामसहाय पुत्र गंगाधर हिस्सा 1/5, लल्लू पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/30, सत्ती पुत्री रामनिवास हिस्सा 1/30 दर्ज करने का भी आदेश दिया जाता है। किशोर पुत्र गंगाधर का हिस्सा पूर्व की तरह बैंक के रहन दर्ज रहेगा। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7/7/20.. को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:12:12 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

[illegible]

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

इस अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

उनवान

1. भैरवसिंह पुत्रान दुर्गालाल जाति पूर्विया
2. खेमराज निवासी गणडाल तहसील बामनवास —वादीगण

बनाम

1. रामसहाय पुत्र गंगाधर जाति पूर्विया निवासी गण्डाल (मृतक)
1/1 रामसिंह | पुत्रान स्वर्गीय रामसहाय
1/2 अमरसिंह | जाति पूर्विया निवासी गण्डाल
1/3 चन्दनसिंह | तहसील— बामनवास
1/4 भागसिंह | जिला सवाईमाधोपुर (राजस्थान)
1/5 रूकमणी बेवा रामसहाय, पूर्विया निवासी गण्डाल तहसील बामनवास
2. किशोर पुत्र गंगाधर, पूर्विया निवासी गण्डाल तहसील बामनवास (मृतक)
2/1 छोटी बेवा किशोर | जाति पूर्विया निवासी गण्डाल
2/2 विजयसिंह पुत्र स्वर्गीय किशोर | तहसील—बामनवास जिला
2/3 मदनसिंह पुत्र स्वर्गीय किशोर | सवाईमाधोपुर (राजस्थान)
2/4 शारदा पुत्री स्वर्गीय किशोर |
3. लल्लू पुत्र रामनिवास जाति पूर्विया निवासी ग्राम गण्डाल (मृतक)
3/1 उगन्तीदेवी बेवा स्वर्गीय लल्लू | जाति पूर्विया निवासी ग्राम
3/2 प्रतापसिंह पुत्र स्वर्गीय लल्लू | गण्डाल तहसील बामनवास
3/3 हरिसिंह पुत्र स्वर्गीय लल्लू |
3/4 मानसिंह पुत्र स्वर्गीय लल्लू |
3/5 देवी पुत्र स्वर्गीय लल्लू पत्नी रामेश्वर | जाति पूर्विया निवासी
3/6 उमा पुत्री स्वर्गीय लल्लू पत्नी पप्पू | माधोपुर पो. कनवास जि. कोटा
4. चिरंजीलाल पुत्र रामनिवास | [illegible] पूर्विया निवासी गण्डाल
5. सुरेश पुत्र कन्हैया | [illegible]— बामनवास
6. गीतादेवी पत्नी रमेश पुत्र कन्हैया | [illegible] सवाई माधोपुर
7. विशाल पुत्र रमेश | [illegible]स्थान।
8. विक्रम पुत्र रमेश जरिये संरक्षक माता गीतादेवी जाति पूर्विया निवासी गण्डाल तहसील बामनवास
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2024.04.19 16:12:13 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

जिला कलेक्टर एवं मजि...

डिक्री घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं विभाजन

मुकदमा नं. –186/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री .... दीक्षित, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री.................मुद्दायलह पेश .... हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा .... वाद स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 14 रकबा 4.55 है0 ग्राम उदेई .... में वादीगण भैरवसिंह पुत्र दुर्गालाल, खेमराज पुत्र दुर्गालाल को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार इस भूमि में दर्ज अन्य खातेदारों का हिस्सा कन्हैया पुत्र गंगाधर का 1/5, कल्ली पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/30, कान्ता पुत्री रामनिवास हिस्सा 1/30, किशोर पुत्र गंगाधर हिस्सा 1/5, चिरंजी पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/30, मीरा पुत्री रामनिवास हिस्सा 1/30, रामसहाय पुत्र गंगाधर हिस्सा 1/5, लल्लू पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/30, सत्ती पुत्री रामनिवास हिस्सा 1/30 दर्ज करने का भी आदेश दिया जाता है। किशोर पुत्र गंगाधर का हिस्सा पूर्व की तरह बैंक के रहन दर्ज रहेगा। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 7-7-2021 को जारी किया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं ....

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:12:12 IST
Reason: SelfAttested